

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
डी.बी. केंद्रीय/उपकर अपील संख्या 103/2018

आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एनसीआर बिल्डिंग, सी-
स्कीम, जयपुर (राज.)

----अपीलकर्ता

बनाम

एम/एस जुबेरी इंजीनियरिंग कंपनी, 204 एवं 206, द्वितीय तल, अनुकंपा-I, रेमंड शोरूम
के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री संदीप पाठक, सुश्री वर्तिका मेहरा
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री संजय झंवर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राहुल लखवानी, सुश्री श्रेया झंवर के साथ

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय श्री जस्टिस भुवन गोयल
आदेश

03/05/2024

अवनीश झिंगन, जे —

1. यह अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी(1) (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत, दिनांक 08.11.2017 को पारित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं

सेवा कर अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण') के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी कंपनी सेवा कर विभाग में पंजीकृत थी और स्थापत्य, स्थापना एवं कमीशनिंग एवं ठेका सेवा के कार्य में संलग्न थी। दिनांक 05.11.2008 को प्रतिवादी के परिसर में तलाशी की गई, तत्पश्चात दिनांक 13.04.2010 को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। कार्यवाही का समापन दिनांक 05.10.2011 के आदेश में हुआ, जिसमें रु. 3,47,30,682/- की मांग बनाई गई। प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में, अधिकरण ने विवादित आदेश को निरस्त कर मामला पुनः विचारार्थ लौटाया।

3. आदेश दिनांक 11.07.2023 द्वारा, इस न्यायालय ने विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रारूपण किया।

"क्या सीईएसटीएटी ने 01.06.2007 के बाद की अवधि के लिए मांग को सामान्य अवधि तक सीमित कर गलती की, जबकि वर्तमान मामले में, आकलित द्वारा तथ्यों का जानबूझकर छुपाया जाना और कर-चोरी की गई थी, क्योंकि आकलित ने 08.05.2008 तक एसटी पंजीयन नहीं लिया था और न ही वैधानिक एसटी-3 रिटर्न दाखिल किया और कर-चोरी केवल विभाग द्वारा आकलित के परिसर की तलाशी के बाद ही सामने आ सकी?"

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा 7 में दर्ज निष्कर्ष रिमांड के विरोधाभासी हैं। और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया।

5. प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि पूर्ण रूप से पुनर्विचार रीमांड किया गया था और स्पष्टता के लिए मूल प्राधिकारी (संक्षेप में 'ओ.ए.') के समक्ष दो मुद्दों को निर्धारित किया जाना निर्दिष्ट किया गया था।
6. तर्क पर विचार करने से पूर्व, ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा 7 एवं 8 को पुनरुत्पादित करना उपयुक्त होगा:—

"7. अपीलकर्ता/करदाता ने सीमा अवधि पर मांग का भी विरोध किया। हम देखते हैं कि अनिवार्य रूप से वे सामग्री के साथ-साथ सेवा से जुड़े अनुबंधों को निष्पादित करते रहे हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ऐसे अनुबंधों के संबंध में कर देयता और यहां तक कि ऐसी देयता के परिमाणीकरण को लेकर लगातार विवाद थे। यह मामला केवल लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सुलझा। इस तरह की व्याख्या के मुद्दे और उस समय के दौरान लगातार विवादों को देखते हुए, राजस्व के लिए ऐसी सेवाओं के संबंध में विस्तारित अवधि का आह्वान करना टिकने योग्य नहीं है। तदनुसार, जहां भी भुगतान किए जाने योग्य मांग धारा 73 के अनुसार सीमा की सामान्य अवधि तक सीमित होगी। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, लगाए जाने वाले दंड की देयता की भी मूल प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए।

8. उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के मद्देनजर, हम देखते हैं कि आलोचना आदेश अपनी स्थिति के अनुसार टिकने योग्य नहीं है। राजस्व और अपीलकर्ता/करदाता दोनों द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करते हुए, हम देखते हैं कि मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मूल प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा। इस निर्णय में जिन दो मुख्य मुद्दों की जाँच की जाएगी, वे हैं: कार्य अनुबंध सेवा के अंतर्गत सेवाओं के वर्गीकरण पर अपीलकर्ता/करदाता के दावे से संबंधित दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन के आधार पर 01/06/2007 के बाद की अवधि के लिए पुनर्माणित की जाने वाली कर देयता। दूसरा मुद्दा कार्य अनुबंध सेवा के लिए संयोजन योजना के अंतर्गत रियायती दर का लाभ उठाने के बाद सेवा कर का

भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता/करदाता की पात्रता के संदर्भ में है। मामले का नए सिरे से फैसला करते समय अन्य संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। अपीलकर्ता/करदाता को सहायक दस्तावेजों के साथ मामले का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अपील को रिमांड के माध्यम से अनुमति दी जाती है।”

7. वर्तमान मामले में, सीसीई एंड सीयूएस, केरल बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड - **2015 (39) एस.टी.आर. 913 (एस.सी.)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, न्यायाधिकरण ने माना कि कार्य अनुबंध संशोधन के बाद, 01.06.2007 से सेवा कर के लिए पात्र हो गया। यह भी माना गया कि विभाग विस्तारित सीमा अवधि का आह्वान नहीं कर सकता क्योंकि व्याख्या से संबंधित विवाद अंततः लार्सन एंड टुब्रो (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा हल हो गया था और इस तथ्य को जुर्माना लगाने से निपटने के दौरान ओ.ए. द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजते समय, यह स्पष्ट किया गया कि ओ.ए. दो मुद्दों की जाँच करेगा: -

(i) यह संतुष्ट होने पर कि प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का वर्गीकरण कार्य अनुबंध शीर्षक के अंतर्गत था, कर देयता को 01.06.2007 के बाद की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाना है और (ii) कार्य अनुबंध सेवा की क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत रियायतें प्राप्त करने पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए करदाता की पात्रता का मुद्दा।

8. विस्तारित सीमा अवधि लागू करने के संबंध में पैरा 7 में दिए गए निष्कर्ष कहीं भी रिमांड के दायरे को सीमित नहीं करते हैं। अंतिम पैरा में यह स्पष्ट किया गया है कि

रिमांड कार्यवाही में, न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दो मुद्दों के साथ-साथ अन्य संबंधित मुद्दों पर भी ओ.ए. द्वारा विचार किया जाएगा। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है और न्यायाधिकरण के आदेश में कोई विरोधाभास नहीं है।

9. अतः अपील में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं है।

10. अपील खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

अनु/चंदन/3

क्या रिपोर्ट योग्य है:-हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate